□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1896

29 □□□□, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य सुरक्षा मित्र

1896. श्री वाई॰ एस॰ अविनाश रेड्डीः
श्र□ □□□□□ □ड्डी □□□ □ड्डी□□
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री प्रसून बनर्जीः
डॉ॰ बीसेट्टी वकट सत्यवतीः
श्री रघु राम कृष्ण राजूः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल म ‘ईट राइट इंडिया’ आंदोलन को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए ‘खाद्य सुरक्षा मित्र’ (एफएसएम) योजना आरंभ को है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रमुख विशेषताएं क्या ह तथा इसके उद्देश्यों/लक्ष्यों के परिणाम/उपलब्धि मापने का तंत्र क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस योजना के कायान्वयन म कोई भूमिका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अंतगत अब तक स्वीकृत और उपयोग को गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार स्वास्थ्य खाद्य पूरकों के सापेक्ष प्रभावशीलता को निगरानी करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

□त□□
स□□स्थ□ और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री □□श्वे□□ □□□□□ □□□)□

(क) से (ख): जी हां। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य व्यवसाय प्रचालकों द्वारा एफएसएसएआई का ऑनलाइन प्लेटफाम प्रयोग करने के लिए खाद्य सुरक्षा मित्र योजना जिसम डिजिटल मित्र को सुविधा, खाद्य व्यापार का प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनर मित्र और रेस्तरां और स्थापनाओं को स्वच्छता श्रेणी के लिए स्वच्छता मित्र शामिल है, को शुरूआत को है। खाद्य सुरक्षा मित्र एफएसएसएआई द्वारा प्रमाणित वैयक्तिक व्यावसायी है जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों से संबंधित अनुपालन म खाद्य व्यवसाय प्रचालकों को सहयोग प्रदान करता है। यह खाद्य व्यवसाय प्रचालकों द्वारा बेहतर अनुपालन करने और व्यापार को सुगमता हेतु एक स्वैच्छिक योजना है। खाद्य सुरक्षा मित्रों को एफएसएसएआई द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है और इसको पात्रता, प्रशिक्षण विषय वस्तु, आचार संहिता, फोस संरचना से संबंधित ब्यौरा वेबसाइट

https://fssai.gov.in/foodsafetymitra/. पर उपलब्ध है। इस योजना से लाइससीकृत/ पंजीकृत एफबीओ, प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा पयवेक्षकों को संख्या और स्वच्छता रेटिग प्राप्त करने वाले रेस्तरां को संख्या म वृद्धि होने को संभावना है तथा इसके परिणामों का तदनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

(ग) एफएसएसएआई ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को खाद्य सुरक्षा मित्र योजना म अभिप्रेरित व्यक्तियों के नामांकन के प्रोत्सहान हेतु व्यापक प्रचार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(घ) खाद्य सुरक्षा मित्र योजना के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अलग से निधि आबंटित नहों को गई है।

(ङ) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकण ने (स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार प्रयोग के लिए खाद्य, विशेष आर्युविज्ञान प्रयोजन के लिए खाद्य, कायात्मक खाद्य और नवीन खाद्य) विनियम 2016 अधिसूचित किए ह जो अन्य बातों के साथ साथ विनिमाण, विक्रय और भारत म इन उत्पादों के आयात के मानकों को विनियमित करता है। राज्य/संघ राज्य सरकार मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों से संबंधित उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी ह।

*****